न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—68/2014 (2014/00047) वाद पत्र

अनवान

1—गोपालसिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अर्जुनसिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मदनसिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—गायड़सिंह पिता भगवत सिंह राजपूत निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ मृतक के बजाय
1/1—प्रकाशकंवर पुत्री गायडसिंह राजपूत निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
1/2—प्रहलादसिंह पिता गायडसिंह राजपूत निवासी काकरोद तह. देवगढ़ जिला राजसंमद
2—फूलकंवर पत्नि रामसिंह राजपूत निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
3—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नारायण सिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बागजणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7—नरपत सिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188—92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन— अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—25.01.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि तत्कालीन ग्राम सुरास परगना रायपुर में देवीसिंह आत्मज डुंगरसिंह राजपूत, सरदारसिंह आत्मज जुहारसिंह राजपूत निवासी चिलेश्वर के नाम पर राजस्व अभिलेख में साबिक आराजी संख्या 162 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 163 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी। देवीसिंह एवं सरदारसिंह राजपूत ने उक्त आराजियात बैसाख सुदी 13 संवत 2008 में 85/—रूपये के प्रतिफल में वादीगण के पिता मनोहर सिंह आत्मज ज्ञानसिंह राजपुत को विक्रयकर विक्रयसुदा भूमि पर प्रार्थीगण के पिताजी मनोहर सिंह जी का आधिपत्य करा दिया जिसके सन्दर्भ में देवी सिंह व सरदार सिंह ने वादीगण के पिताजी के पक्ष में लिखतम निष्पादित की। साबिक आराजी नम्बर 162, 163 के नवीन आराजी नम्बर 223 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 224 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 225 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 226 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 227 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 228 रकबा 0.23 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि [illegible] वक्त क्रय से ही वादीगण के पिता एवं उनके देहान्त उपरान्त वादीगण का बेहै[illegible]लिकाना हक से कब्जा चला आ रहा है। देवीसिंह एवं सरदारसिंह राजपू[illegible] एवं उनका कोई विधिक वारीस नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 [illegible] स्वंय को स[illegible] सिंह जी का तथाकथित वारीस बताकर ग्राम पं[illegible]रके सरदार सिंह [illegible]बजाय अपना (प्रतिवादी संख्या 1 से 2) नाम विरासत से दर्ज करवा लिया जबकि सरदारसिं[illegible] कोई औलाद नहीं थी एवं न ही सरदारसिंह जी के कोई नजदीकी वारिस था। सरदारसिंह काकरोद का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

निवासी नही होकर चिलेश्वर का निवासी था एवं सरदारसिंह जी के पिताजी का नाम जुहारसिंह था एवं सरदारसिंह जी ने अपना हिस्सा वादीगण के पिता को बिकाव कर दिया था। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा तैयार फर्जी दस्तावेज को आधार मानकर वास्तविकता की जांच किये बिना ग्राम पंचायत ने मिलाभगती करके उक्त आराजियात में सरदारसिंह जी के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया जो सरासर विधि विरूद्ध है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। नामन्तरणकरण एक फिस्कल प्रोसिडींग है जिससे कोई अधिकार नहीं मिल जाते है। उक्त वादग्रस्त आराजियात के वादीगण के पिता सद्भाविक क्रेता है एवं सम्वत् 2008 से ही वादीगण के पिता एवं उनके देहान्त के पश्चात् वादीगण साधिकार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख मे वादीगण का नाम अंकित नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है जिससे इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार हैं एवं इन्द्राज दुरस्ती द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात में से देवी सिंह आत्मज डुंगर सिंह राजपूत एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित कराया जाकर वादीगण का नाम अंकित कराया जाना आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त आराजियात पर वक्त क्रय से ही वादीगण के पिता एवं उनके देहान्त के पश्चात् वादीगण सांधिकार काबिज हो आज पर्यन्त निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजियात में सरदार सिंह जी के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत तोर से दर्ज कर दिया एवं वे उक्त वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द अंतरित एवं भारित करने पर आमादा हो रहे है एवं वादीगण को बेदखल करना चाह रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त वादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अंतरित एवं भारित नही करे, वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नहीं करे, वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर ग्राम सुरास तहसील रायपुर के आराजी संख्या 223 से 228 किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इन्द्राज दुरस्ती द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख मे से देवीसिंह आत्मज डुंगर सिंह राजपूत एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित कराया जाकर वादीगण का नाम अकिंत कराया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जावे कि वे उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से खुर्द बुर्द अंतरित एवं भारित नही करे। वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नही करे। वादीगण को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दंखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 5 को पांबद करावे कि अगर उक्त वादग्रस्त आराजियात के अन्तरण का कोई दस्तावेज पंजी[illegible] उनके समक्ष प्रस्तुत हो तो वे इसका पंजीयन नही करे। प्रतिवादी संख्या [illegible] के बिना राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी [illegible] अधिवक्ता द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 फौरमल पक्षकार है जिससे कोई राहत नही चाही गई।

प्रतिवादी नारायणसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर में अकिंत किया गया कि जहां तक आराजी संख्या 162, 163 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि खातेदार देवीसिंह पिता डुंगरसिंह, सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपूत निवासी चिलेश्वर के नाम होना स्वीकार है। वादवर्णित आराजियात को तत्कालीन खातेदार ने वादीगण के पिता को विक्रय नही की वादीगण ने वादपत्र के साथ जो लिखापढ़ी बिकाव बाबत् पेश की वो फर्जी है उक्त लिखापढ़ी के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के सम्बन्ध में दाद नही ले सकते है। वादीगण ने संवत 2008 में क्रय करना बताया जो गलत है। वादीगण का वादवर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही होने से राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही किया। तत्कालीन खातेदार से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की एवं इतने वर्ष बीत जाने के बाद वादपत्र उस फर्जी लिखापढ़ी के आधार मानकर आये है। देवीसिंह व सरदारसिंह राजपूत दोनो फोत हो गये और प्रतिवादी गायडसिंह एवं फुलकंवर उनके विधिक वारीसान थे जिनके नाम वाद वर्णित आराजियात जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई है एवं वर्तमान में उनके नाम खाता संख्या 71 में जरिये नामान्तरण संख्या 208 के विरासत से दर्ज हुई है। सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपुत के जायन्दा सन्तान नहीं थी उनका सगा भाई भगवतसिंह था तथा प्रतिवादी गायडसिंह जो भगवतसिंह का पुत्र था एवं प्रतिवादी फुलकंवर रामसिंह पिता भगवत सिंह की पत्नी होने से उनकी प्रथम श्रेणी के वारीस होकर वाद वर्णित आराजियात उनके नाम दर्ज हुई। ग्राम पंचायत ने आवश्यक कानुनी जाँच कर उनके नजदीकी वारीस होने से उनके नाम नामान्तरण दर्ज किया प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के फर्जी दस्तावेज को आधार नहीं माना है। वाद वर्णित आराजियात उनके नाम पर दर्ज होने से मुझ प्रतिवादी नारायणसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वाद वर्णित आराजियात दिनांकः 19.11.2014 को 2,00,000/–रूपये प्रतिफल अदाकर क्रय की एंव वक्त क्रय से ही वाद वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर कास्त कर रहा हूँ। एवं मौके पर नरपतसिंह जो ग्राम सुरास के निवासी है काश्त कर रहे है मैं प्रतिवादी सद्भाविक क्रेता हूँ और वाद वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित होने का अधिकारी है वादीगण में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मीला भगती कर उक्त आराजियात मुझ प्रतिवादी नारायणसिंह के नाम खातेदारी से दर्ज नहीं होने दी वादीगण ने देवीसिंह पिता डुंगरसिंह का नाम खाते से विलोपित कराने का गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया है किसी भी अचल सम्पत्ती का बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। वादपत्र की कलम नम्बर 6 गलत होकर अस्वीकार है वादीगण ने उक्त कलम मैं वाद वर्णित आराजियात पर अपना कब्जा साधिकार होना अंकित किया है जो गलत है वाद वर्णित आराजियात पर सरदारसिंह के विधिक वारीसान का कब्जा था एंव उनकी मृत्यु उपरान्त एंव वक्त क्रय से मुझ प्रतिवादी नारायणसिंह व नरपतसिंह का कब्जा है। वादीगण का वाद वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है केवल मात्र खाम कागज [illegible] पत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है वादीगण को खातेदार के विरूद्ध [illegible] आज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है वाद वर्णित आराजियात वर्तमान में [illegible] नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने जरिये विक्रय पत्र के मुझ प्रतिवादी [illegible] को विक्रय की है। काउन्टर क्लेम में रूप में निवेदन किया कि वर्तमान में प्रतिवादी [illegible] नाम पर दर्ज रेकार्ड है इस पर उनका कब्जा चला आ रहा है उन्होंने ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बाद वर्णित आराजियात का 1/2 हिस्सा दिनांक 19.11.2014 को विक्रय कर प्रतिवादी नारायणसिंह ने प्रतिफल 2,00,000/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

रूपये अदा किया है वक्त क्रय से उनका कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादी नारायणसिंह वाद वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित होने का अधिकारी है वर्तमान में आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण वाद वर्णित आराजियात में किसी प्रकार का हक अधिकार नही रखते हैं फर्जी एव कुटरचित लिखापढ़ी को आधार मानकर वाद प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है 70 वर्ष बीत जाने के उपरान्त वादीगण ने वाद प्रस्तुत किया है जब कि तथाकथित लिखापढी सम्वत 2008 की होना अंकित किया है उक्त लिखापढी तत्कालीन समय के दोनों पक्षो द्वारा प्रमाणित होना बीते वर्षों में नहीं माना है न ही कोई कार्यवाही इनके द्वारा की गई है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भुमि जब मुझ प्रतिवादी नारायणसिंह को विक्रय की तब दस्तावेज रजिस्टर्ड होने, से पूर्व तथाकथित लिखापढ़ी को आधार मानकर वाद प्रस्तुत कर दिया है। गलत होकर खारीज होने योग्य है।

प्रकरण में वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम सुरास की साबिक आराजी संख्या 162 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 163 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि तत्कालीन खातेदार देवीसिंह पिता डुगरसिंह, सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी जिसे वादीगण के पिता मनोहर सिंह पिता ज्ञानसिंह राजपूत ने बैसाख सुदी 13 सवंत 2008 में 85/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।
जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी संख्या जिनके नवीन नम्बर 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरदार सिंह जी के वारीस बन कर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा उसे विक्रय कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।
जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त 1/2 हिस्से को दिनांक 19.11.2014 को प्रतिवादी नारायणसिंह ने क्रय कर लिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है।
जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

4. अनुतोष :–

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के समर्थन में वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि देवीसिंह व सरदारसिंह के नाम पर थी संवत 2008 में वादीगण के पिता द्वारा 85/–रूपये में क्रय की गई है तब से वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। सरदारसिंह, देवीसिंह लाऔलाद फोत हुए है। सरदारसिंह का गलत सजरा बनाकर नामान्तकरण कर दिया प्रतिवादीगण [illegible] है जबकि खाते में चिलेश्वर लिखा हुआ है। साक्ष्य के रूप में वादीगण व अन्य गवाहो के [illegible] कराये गये। दस्तावेज के रूप में संवत 2008 के बही की लिखापढ़ी पेश [illegible] 85/–रूपये की होने से पंजीयन आवश्यक नही है। देवीसिहं व दी[illegible] एक ही व्यक्ति [illegible]। प्रतिवादी आधे हिस्से पर कब्जा बता रहा है जबकि हमारा कब्जा पुरा है [illegible] करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवदेन कि मूल खातेदार देवीसिंह एवं सरदारसिंह थे जिसमें 1/2–1/2

हिस्सा था जो वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज है। सरदारसिंह व देवीसिंह लाऔलाद फोत हुए सरदारसिंह का भाई भगवत सिंह था व भगवतसिंह के फोत होने पर उनकी विरासत के जरिये भूमि गायडसिंह व फुलकवंर के नाम दर्ज हुई। गायडसिंह व फुलकवंर के द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 19.11.2014 के नारायणसिंह को विक्रय कर दिया तब वादीगण दावा लेकर आये। रजिस्ट्री निरस्त का वाद सिविल कोर्ट में पेश किया जो धारा 10 सी. पी.सी. के तहत् स्थगित कर रखा है। नारायणसिंह की ओर से पुनः नरपतसिंह को भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से दिनांक 11.06.2018 को विक्रय कर दी और मौके पर उसी अनुसार काबिज है। साक्ष्य के रूप से प्रदर्श डी–1 से 8ए तक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगणो को काकरोद का निवासी बताया जबकि खाते में चिलेश्वर दर्ज है इस सम्बन्ध में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बताया कि दस्तावेज दस्तावेज प्रदर्श डी–1 एवं प्रदर्श 8ए खसरा गिरदावरी में निवासी चिलेश्वर ही दर्ज है काकरोद का निवासी नही है। वाद खारीज कर काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एव अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तो पाया कि वादर्णित आराजियात साबिक बन्दोबस्त की जमाबन्दी संवत 1984 में आराजी संख्या 162 व 163 कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि मूल रूप से देवीसिंह पिता डुगंरसिंह व सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपूत के नाम में दर्ज रेकार्ड थी। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के नवीन भू प्रबन्ध के दौरान मिलान क्षैत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि जो भी देवीसिंह पिता डुगंरसिंह व सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपूत के नाम दर्ज हुई। सरदारसिंह व देवीसिंह लाऔलाद फोत हुए है। सरदारसिंह के फोत होने पर उनके नाम दर्ज भूमि विरासत से जरिये नामान्तकरण 208 दिनांक 28.07.2014 से गायडसिंह पिता भगवतसिंह व फुलकंवर पत्नि रामसिंह राजपूत के नाम दर्ज हुई है। गायडसिंह पिता भगवतसिंह व फुलकंवर पत्नि रामसिंह राजपूत के द्वारा अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 19.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 6 नारायणसिंह को विक्रय कर दी एवं नारायणसिंह द्वारा अपनी क्रय शुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 नरपतसिंह को रजिस्टर्ड दस्तावेज के दिनांक 11.06.2018 को विक्रय कर दी गई। इस प्रकरण में मुख्य रूप से वाद विषयक सवंत 2008 की लिखापढ़ी के आधार पर कब्जे सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य भी आवश्यक है। संवत 2008 की लिखतम के आधार पर कब्जा सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण होना चाहिये था किन्तु इस प्रकरण में संवत 2031 से 2034 की खसरा गिरदावरी पेश हुई उसके कॉलम 24 में वादीगणो के पिता मनोहर का 1/2 हिस्से पर कब्जा होना पाया दर्ज है। अगर वादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि क्रय की जाती तो कब्जा सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण के पिता का दर्ज होना चाहिये था जो नही होकर वादीगण के पिता मनोहरसिंह का 1/2 हिस्से की भूमि पर ही कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित है।

दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहो के बयानो के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया ग्राम सुरास की साबिक आराजी संख्या 162 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 163 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 [illegible] 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि तत्कालीन खातेदार देवीसिंह पिता डुगरसिंह, सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी जिसे वादीगण के पिता मनोहर सिंह पिता ज्ञानसिंह राजपूत ने बैसाख सुदी 13 सवंत 2008 में 85/– रूपये में क्रय कर कब्जा [illegible] वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में वादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा स्वयं के बयान दर्ज कराते हुए हुक्मीचन्द पिता रामलाल सुथार, श्री प्रताप पिता तलोक बलाई एवं टोडरमल पिता गोमनराम जाति नुवाल महाजन के बयान कराये गये। वादी श्री गोपालसिंह द्वारा अपने बयान में कथन किया कि हमारे पिताजी को फोत हुए 15 वर्ष हो चुके है मेरी उम्र 55 वर्ष है और मेरे पिताजी द्वारा वादवर्णित भूमि की चौपनिये की लिखापढ़ी किस सवंत की है अनपढ़ होने से में नही बता सकता हुॅं। मेरे पिताजी जिवित रहते दावा नही किया गया। खातेदार देवीसिंह एवं सरदारसिंह मेरे परिवार के भाईबन्ध है यह कोनसी पीढ़ी में लगते मुझे पता नही। सरदारसिंह व भगवत सिंह दोनो सगे भाई हो तो में नही जानता, भगवतसिंह का पुत्र गायडसिंह है उसके नाम पर इन्तकाल खुला जिस पर मैने दावा पेश किया। गायडसिंह व फुलकंवर के द्वारा जमीन नारायणसिंह को बेची जिसके सम्बन्ध में गंगापुर न्यायालय में दावा पेश किया। देवीसिंह के कोई वारीस नही होकर लाऔलाद फोत हुए है। वादग्रस्त जमीन पर मेरा होकर ट्यूबवेल लगा रखी है जिस पर लाईट कनेक्शन है किन्तु बिल मेने पत्रावली में पेश नही किया। यह बात सही है कि जमीन खरीदने के 70 वर्ष बाद व सभी खातेदारो के मरने के बाद वाद पेश किया। इसी प्रकार वादी अर्जुनसिंह द्वारा भी अपने बयान में कहा कि वादवर्णित भूमि संवत 1984 से ही खातेदार देवीसिंह व सरदारसिंह के नाम से चली आ रही है। यह बात गलत है कि उक्त जमीन खुमा वल्द लाला के सिजारे हो बल्कि खुमा खाती से देवीसिंह व सरदारसिंह ने खरीदी है। मेरे पिता मनोहरसिंह के नाम की हासल की रसीदे मैने पेश नही की, मेरे पिताजी देवीसिंह, सरदारसिंह के नाम से हासल जमा कराते थे। यह कहना गलत है कि जमीन पर नरपत सिंह का कब्जा हो बल्कि हमारा कब्जा है। मैने मेरे पिता के नाम की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी पेश नही की क्योंकि जमीन देवीसिंह सरदारसिंह के नाम पर है। प्रदर्श 2 में मेरे पिताजी मनोहरसिंह के हस्ताक्षर बतौर खरीददार नही है और लिखा पढ़ी फर्जी नही है। इसके अतिरिक्त श्री हुक्मीचन्द पिता रामलाल सुथार निवासी सुरास के बयान करोय जिसमें कहा कि खातेदार देवीसिंह व सरदारसिंह के पिता को मेने नही देख और न ही मे जानता हुॅं। देवीसिंह सरदारसिंह के 6 बीघा जमीन थी जिसमें दोनो का कितना हिस्सा था मुझे पता नही। विवादित जमीन के पूर्व दिशा में गंगाराम कुमावत पश्चिम में धूलखेड़ा की सड़क दक्षिण में नाईयो की जमीन व उत्तर में अमरसिंह जी की जमीन है। शपथ पत्र में गोपालसिंह द्वारा जमीन कय करने की बात की मेरी जानकारी से लिखाई है गोपालसिंह के कहे अनुसार नही। गायडसिंह, फुलकंवर द्वारा उनके हिस्से की जमीन नारायणसिंह को बेची हो मुझे पता नही। इसके अतिरिक्त प्रताप पिता तलोक बलाई के भी बयान कराये गये जिसमें कहा कि देवीसिंह, सरदारसिंह ने कोनसे साल संवत में जमीन बेची मुझे पता नही मेरा जन्म कोनसे वर्ष व संवत में हुआ मुझे याद नही एवं इसके अतिरिक्त टोडरमल पिता गोमनराम नुवाल निवासी रायपुर के बयान कराये जिसमें टोडरमल द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा कि प्रदर्श 2 पर मेरे पिताजी के हस्ताक्षर है या नही मेरी नजर कमजोर होने से मुझे दिखाई नही दे रहा है। मेरी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र ए से बी मेने सही लिखवाया है मेरे पिता की हस्तलिपी की लिखावट मेरे दुसरे दस्तावेज नही लाया हुॅं। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श [illegible] सरदारसिंह के नाम जमाबन्दी संवत 1984 की पेश की गई। चौपनिये [illegible] जो प्रदर्श 2 है। प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 जो देवीसिंह [illegible] के [illegible] दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 जो देवीसिंह, स[illegible] रेकार्ड है। प्रदर्श 5 मिलान क्षैत्रफल पेश किया जिसमें साबिक आराजी संख्या 162, 163 के [illegible]न नम्बर 223 से 228 तक बने। इसी तरह जमाबन्दी 2069 से 2072 की पेश की जो प्रदर्श 6 होकर देवीसिंह, सरदारसिंह के नाम नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात 223 से 228 तक दर्ज रेकार्ड है जिसमें लाल स्याही से सरदारसिंह पिता जुहारसिंह राजपूत के बजाय भूमि गायडसिंह पिता भगवत सिंह, फूलकवंर पत्नि रामसिंह के नाम दर्ज होने का इन्द्राज है। प्रदर्श 7 नामान्तकरण संख्या 208 जो सरदारसिंह के फोत होने पर उसकी विरासत का है जिसमें सरदारसिंह की विरासत गायडसिंह पिता भगवतसिंह एवं फुलकंवर पत्नि रामसिंह के नाम दर्ज हुई।

वादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में जो बयान कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जो भूमि देवीसिंह, सरदारसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रदर्श 2 जो बिकाव पत्र की प्रति पेश की गई जिसमें जो साक्ष्य अकिंत है वो गवाह फोत होना एवं लिखमत करने वाला भी फोत होना वादीगण द्वारा अपने बयानो में कहा गया है। वादीगण द्वारा लिखापढ़ी के सम्बन्ध में श्री टोडरमल के बयान कराये गये जिसमें टोडरमल द्वारा मुख्य परीक्षा में कहा कि प्रदर्श 2 पर मेरे पिताजी के हस्ताक्षर है या नही नजर कमजोर होने से मुझे दिखाई नही दे रहा है। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा जो खसरा गिरदावरी की नकल 2031 से 2034 की पेश की गई जिसके कॉलम 24 में अमरसिंह पिता गुलाबसिंह 1/2 व मनोहरसिंह पिता ज्ञानसिंह 1/2 राजपूत के नाम आदेश क्रमांक 892—97 दिनांक 17.05.1976 व साथ ही अमरसिंह पिता गुलाबसिंह 1/2, मनोहरसिंह 1/2 का इन्द्राज आदेश क्रमाक 1626—29 दिनांक 29.06.1976 का इन्द्राज दर्ज रेकार्ड है। इससे इस तनकी को साबित कराने में वादीगण आंशिक सफल रहे है। उपरोक्त विवरण अनुसार इस तनकी का निर्णय आंशिक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है

2. आया वादग्रस्त आराजी संख्या जिनके नवीन नम्बर 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरदार सिंह जी के वारीस बन कर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा उसे विक्रय कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का जिम्मे वादीगण अधिकारी है।

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादीगण पर था। वादवर्णित नवीन आराजी संख्या 223 से 228 किता 6 रकबा 1.28 है0 के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे वादवर्णित नवीन आराजी 223 से 228 किता 6 रकबा 1.28 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरदारसिंह के वारीस बनकर अपने नाम दर्ज करवा उसे विक्रय कर दी हो जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी के नाम भूमि नामान्तकरण संख्या 208 से दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण के पूर्वजो का नाम खसरा गिरदावरी के कॉलम 24 में शिकमी के रूप में नाम दर्ज रेकार्ड है और 1/2 हिस्से में वादीगण के पिता मनोहरसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 1/2 हिस्से की भूमि पर वादीगणो का एवं 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगणो का कब्जा है। वादीगण की यह तनकी आशिंक रूप से वादीगण के पक्ष में साबित होती है जिससे इस तनकी का निर्णय भी आंशिक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

3. आया वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवा[illegible] 1 व 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त 1/2 हिस्से को दिनांक [illegible] को [illegible]वादी नारायणसिंह ने कय कर लिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्से का खा[illegible] काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 6 व 7 पर था। प्रतिवादी के द्वारा इस तनकी के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड प्रदर्श डी–1 जो बिकाव पत्र दिनांक 19.11.2014 का रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसमें गायडसिंह एवं फूलकवंर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर की गई है। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा क्रय की गई भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय की गई जिसका बिकाव पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 11.06.2018 जो प्रदर्श 2 है। इसके साथ में प्रदर्श डी–3 जो देवीसिंह, सरदारसिंह के नाम की जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 की पेश की गई है। प्रदर्श डी–4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श डी–5 जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 की प्रस्तुत की गई। प्रदर्श डी–6 गिरदावरी संवत 2065 से 2068 की प्रस्तुत की गई। प्रदर्श डी–7 खसरा गिरदावरी संवत 2069 से 2072 की, लगान की रसीदे प्रदर्श डी–8, एवं खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 जो प्रदर्श 8ए है। उक्त तनकी के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये है उसमें भूमि देवीसिंह पिता डुगरसिंह एवं सरदारसिंह पिता जुहारसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड है। सरदारसिंह का 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण संख्या 208 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दर्ज हुआ और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 19.11.2014 से प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा क्रय की गई भूमि को रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 11.06.2018 से प्रतिवादी संख्या 7 नरपतसिंह को विक्रय कर दी है। दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा प्रतिवादी नारायणसिंह, नरपतसिंह, भोपालसिंह एवं प्रहलादसिंह आदि के बयान कराये गये जिसमें सरदारसिंह के हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा नही होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा विक्रय से प्रतिवादी संख्या 7 का कब्जा होना बताया गया। इस तनकी को साबित करने में प्रतिवादी सफल रहे है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधार पर मै इस निष्कर्ष पहुॅचा कि वादवर्णित भूमि में वादी का आंशिक वाद एवं प्रतिवादी 6 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर में वादवर्णित साबिक आराजी संख्या 162 व 163 किता 2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 223 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 224 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 225 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 226 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 227 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 228 रकबा 0.23 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

25.01.2022

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—68/2014 (2014/00047) वाद पत्र

अनवान

1—गोपालसिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—अर्जुनसिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मदनसिंह पिता मनोहर सिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—गायड़सिंह पिता भगवत सिंह राजपूत निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ मुतक के बजाय
1/1—प्रकाशकंवर पुत्री गायडसिंह राजपूत निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
1/2—प्रहलादसिंह पिता गायडसिंह राजपूत निवासी काकरोद तह. देवगढ़ जिला राजसंमद
2—फूलकंवर पत्नि रामसिंह राजपूत निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद
3—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—नारायण सिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बागजणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
7—नरपत सिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर में वादवर्णित साबिक आराजी संख्या 162 व 163 किता 2 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 223 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 224 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 225 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 226 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 227 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 228 रकबा 0.23 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 25.01.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

25/01/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा